न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी: पीयूष समारिया, I.A.S.

प्रकरण संख्या –30/2016 (प्रार्थना पत्र)
जी.सी.एम.एस नं0– 2016/00083

उम्मेदसिंह (मृतक) पुत्र श्री कल्याण सिंह जाति राजपूत निवासी अभयपुर तहसील लाडपुरा जिला कोटा जरिये कायम मुकाम–

1. निहाल कंवर बेवा उम्मेदसिंह जाति राजपूत निवासी अभयपुर तहसील लाडपुरा जिला कोटा जिला कोटा
2. बजरंग सिंह पुत्र उम्मेदसिंह जाति राजपूत निवासी अभयपुर तहसील लाडपुरा जिला कोटा
3. भगवान सिंह पुत्र उम्मेदसिंह जाति राजपूत निवासी अभयपुर तहसील लाडपुरा जिला कोटा जिला कोटा
4. गिर्राज सिंह पुत्र उम्मेदसिंह जाति राजपूत निवासी अभयपुर तहसील लाडपुरा जिला कोटा
5. बृजराज सिंह पुत्र उम्मेदसिंह जाति राजपूत निवासी अभयपुर तहसील लाडपुरा जिला कोटा

––प्रार्थी.

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा

––अप्रार्थी.

प्रकरण न्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम निर्णय दिनांक 15.3.2003 प्रार्थना पत्र वास्ते पुनर्विलोकन अन्तर्गत धारा 114 सपठित धारा 151 सीपीसी

उपस्थित–

1. श्री हरिसिंह शक्तावत,अभिभाषक प्रार्थी
2. पेरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक – 08/07/2025

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के अन्तर्गत प्रकरण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा से इस न्यायालय को स्थानान्तरित होने पर इस न्यायालय के प्रकरण संख्या 30/2002 निर्णय दिनांक 15 मार्च 2003 से प्रकरण में निर्णय पारित किया कि –"प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि ग्राम अभयपुरा की भूमि खसरा नम्बर 92 रकबा 0.69 हे0 के स्थान पर खसरा नम्बर 49 रकबा 1.70 हे0 में से 0.86 हे0 कम किया जाकर खसरा नम्बर 92 का रकबा 1.65 हे0 किया जाता है तथा खसरा नम्बर 245 का रकबा 1.57 हे0 से अधिक बढ़ा हुआ है को सिवायचक दर्ज किया जावें । यानि खातेदार का जितना रकबा खसरा नम्बर 49 से कम है उतना सिवायचक बंजड से पूरा होगा तथा उतना ही रकबा प्रार्थी के खसरा नम्बर 245 से कम होकर बंजड दर्ज किया जावेगा । मौके की स्थिति अनुसार रिकार्ड व नक्शे में दुरूस्ती की जावें । इस आदेश के आधार पर नामान्तरकरण खुलवाया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद के साथ साथ नक्शा में भी सुधार किया जावें ।"
2. उक्त आदेश की अप्रसन्नता में प्रार्थीगण की ओर से जरिये अभिभाषक श्री हरिसिंह शक्तावत के यह प्रार्थना पत्र वास्ते प्रकरण अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट निर्णय दिनांक 15.3.2003 पुर्नविलोकन अन्तर्गत धारा 114 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रकिया संहिता के दिनांक 21.6.2022 को प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थीगण के खाते में दर्ज

आराजी की दुरूस्ती खसरा नम्बर 92 की कुल रकबा 1.63 हे0 तथा खसरा नं0 245 की 1.68 हे0 कुल किता 2 रकबा 3.31 हे0 ही दर्ज होना था जो सहवन से गलत गणना के आधार पर उपरोक्त आदेश जारी हो गया, जिसका पुर्नविलोकन कर उपरोक्तानुसार गणना में संशोधन किया जाना न्यायहित में निर्णय दिनांक 15.3.2003 को पारित निर्णय का पुर्नविलोकन किया जाकर निर्णय में रही अंकीय त्रुटि को दुरूस्त किये जाने के आदेश प्रदान करें ।

3. प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी की गई । अप्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा को निर्णय की पालना करने तथा पालना नहीं करने के कारणों सहित तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही गई जो तहसीलदार लाडपुरा द्वारा अपने पत्रांक/राजस्व/2025/2726 दिनांक 27.5.2025 को राजस्व रेकार्ड मय पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट के साथ निम्नानुसार तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई –

- मुताबिक आदेश दिनांक 15.3.2003 ग्राम अभयपुरा के खसरा संख्या 49 रकबा 1.70 हे0 सिवायचक में से 0.86 हे0 कम किये जाने के आदेश प्रदान किये गये, वर्तमान में उक्त खसरा संख्या सिवायचक दर्ज ना होकर यू0आई0टी0 कोटा के नाम दर्ज रिकार्ड है ।
- मुताबिक आदेश दिनांक 15.3.2003 खसरा संख्या 92/0.69 हे0 का रकबा 1.65 हे0 किया जाना था जिसमें खसरा संख्या 49 को कुल रकबे 1.70 हे0 में से 0.86 हे0 कम करके खसरा संख्या 92 का रकबा 0.69 हे0 + 0.86 हे0 = 1.55 हे0 किया जाना सैद्वान्तिम रूप से मुमकिन नहीं है ।
- खसरा संख्या 49 से रकबा कम किया जाना है जो यू0आई0टी0 के नाम दर्ज है । अतः कोटा विकास प्राधिकरण का अभिमत भी इस क्षैत्र में मास्टर प्लान, आवंटन इत्यादी के संबंध में जानना आवश्यक है ।
- खसरा संख्या 245 संलग्न जमाबंदी में उम्मेदसिंह (मृतक) खातेदार के कुल 8 वारिसान के नाम दर्ज है, जिस पर वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा कैथून का रहन प्रभार दर्ज है ।

4. तहसीलदार लाडपुरा से उपरोक्तानुसार रिपोर्ट प्राप्त होने पर वकील प्रार्थी एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई ।

5. वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया है कि उक्त उनवान के प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 15.3.2003 को निर्णय पारित किया था जिसमें प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया था कि ग्राम अभयपुरा की भूमि खसरा नं0 92 रकबा 0.69 हे0 के स्थान पर खसरा नं0 49 रकबा 1.70 हे0 से 0.86 हे0 कम किया जाकर खसरा नं0 92 का रकबा 1.65 हे0 किया जाता है तथा खसरा नं0 245 का रकबा 1.57 हे0 से अधिक बढा हुआ है को सिवायचक दर्ज किया जावें । यानि खातेदार का जितना रकबा खसरा नं0 49 में कम है उतना सिवायचक बंजड से पूरा होगा तथा उतना ही रकबा प्रार्थी के खसरा नं0 245 से कम होकर बंजड दर्ज किया जावेगा । मौके की स्थिति अनुसार रिकार्ड व नक्शे में दुरूस्त की जावें । इस आदेश के आधार पर नामान्तरकरण खुलवाया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के साथ साथ नक्शा में भी सुधार किया जावें । किन्तु निर्णय की पूर्ण जानकारी होने के बावजूद तहसीलदार लाडपुरा द्वारा आज दिनांक तक न्यायालय के आदेश की पालना नहीं की है जिसका कारण तहसीलदार ने निर्णय में वर्णित खसरा नम्बरान के रकबे की गणना को त्रुटिपूर्ण होना बताया जो सहवन से निर्णय में दर्ज हुए है जबकि खसरा नम्बर 92 में की कुल रकबा 0.69 हे0 वर्तमान में दर्ज राजस्व रिकार्ड है जिसके स्थान पर 1.63 हे0 दर्ज संशोधित किया जाकर दर्ज होना था यानि की खसरा नं0 92 में 0.94 हे0 भूमि की वृद्वि होनी थी । इसी प्रकार खसरा नम्बर 245 की कुल भूमि 2.62 हे0 दर्ज राजस्व रिकार्ड है जिसके स्थान पर 1.68 हे0 दर्ज संशोधिता किया जाकर 0.94 हे0 उक्त खसरा नम्बर से कम किया जाकर कुल रकबा 1.68 हे0 निश्चित होना था । किन्तु तहसीलदार लाडपुरा द्वारा पालना नहीं कर अब रिपोर्ट भिजवाई है जिसमें खसरा संख्या 49 की भूमि यू0आईटी के नाम दर्ज होने से कोटा विकास प्राधिकारण का अभिमत भी इस क्षैत्र के मास्टर प्लान, आवंटन इत्यादि के संबंध में जानना आवश्यक होना बताया है । प्रार्थी काफी लम्बे समय सह न्याय से

महरूम है । अतः खसरा नम्बर 92 में 0.94 हे0 की वृद्वि की जाकर कुल रकबा 1.63 हे0 एवं खसरा नम्बर 245 की 2.62 हे0 के स्थान पर 1.68 हे0 दर्ज किया जाने के आदेश प्रदान कराना फरमावें ।

6. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । पत्रावली का अद्योपांत अवलोकन किया । प्रार्थी ने इस न्यायालय के पूर्व निर्णय दिनांक 15.03.2003 में पारित आदेशानुसार खसरा नम्बर 92 की कुल रकबा 0.69 में 0.86 हे0 की वृद्वि खसरा नम्बर 49 रकबा 1.70 हे0 में से 0.86 हे0 कम करके की जाने एवं खसरा नम्बर 245 का रकबा 1.57 हे0 अधिक बढ़ा होने से 245 से कम होकर बंजड दर्ज करने की आदेश हुए थे ।

➢ प्रार्थी की प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में निवेदन किया है कि खसरा नम्बर 92 में 0.94 हे0 भूमि की वृद्वि होनी थी इसी प्रकार खसरा नम्बर 245 की कुल भूमि 2.62 हे0 के स्थान पर 1.68 हे0 दर्ज संशोधित किया जाकर 0.94 हे0 उक्त खसरा नम्बर से कम किया जाकर 1.68 हे0 निश्चित करना था किन्तु पूर्व आदेश में गणना त्रुटि होने से संशोधन हेतु निवेदन किया है ।

➢ तहसीलदार लाडपुरा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार ग्राम अभयपुरा के खसरा नम्बर 49 रकबा 1.70 हे0 सिवायचक में से 0.86 हे0 कम किये जाने के आदेश हुए थे, किन्तु वर्तमान में उक्त खसरा संख्या सिवायचक दर्ज ना होकर यू0आई0टी0 कोटा के नाम दर्ज रेकार्ड है । तथा खसरा नम्बर 92 रकबा 0.69 हे0 का रकबा 1.65 हे0 किया जाना था, जिसमें खसरा संख्या 49 के कुल रकबा 1.70 हे0 में से 0.86 हे0 कम करके खसरा संख्या 92 के रकबे में जोड़ना था जबकि ऐसा करने पर खसरा संख्या का रकबा 1.55 हे0 होता है अर्थात 1.65 हे0 किया जाना सैद्वान्तिम रूप से मुमकिन नहीं है । तथा खसरा नम्बर 49 से रकबा कम किया जाना है जो यू0आई0टी0 कोटा के नाम दर्ज होने से नगर विकास न्यास कोटा का अभिमत भी इस क्षैत्र के मास्टर प्लान, आवंटन इत्यादि के संबंध में जानना आवश्यक बताया है, खसरा संख्या 245 उम्मेदसिंह (मृतक) खातेदार के कुल 8 वारिसान के नाम दर्ज होना व वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा कैथून का रहन प्रभार दर्ज होना बताया है ।

7. उपरोक्त विवेचनानुसार हम यह पाते है कि पूर्व आदेश दिनांक 15.03.2003 का होकर आदेश में रकबे की त्रुटिपूर्ण गणना के कारण अब तक पालना नहीं हो पाई है, तथा खसरा नम्बर 92 के रकबा 0.69 में 0.94 हे0 की वृद्वि की जाकर कुल रकबा 1.63 हे0 सिवायचक भूमि के खसरा नम्बर 49. रकबा 1.70 हे0 में से कम किया जाकर खसरा नम्बर 92 की पूर्ति की जानी थी, किन्तु खसरा नम्बर 49 वर्तमान में सिवायचक नहीं होकर कोटा विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज है तथा खसरा नम्बर 245 की भूमि में से भी 0.94 हे0 भूमि कम की जाकर बंजड दर्ज की जानी थी, चूंकि खसरा नम्बर 245 की भूमि 2.62 हे0 भूमि उम्मेदसिंह (मृतक) के कायम मुकामान के नाम दर्ज है जो स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा कैथून का रहन प्रभार दर्ज है । ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित नहीं है ।

8. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विधिक रूप से स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है । वांछित दुरूस्ती हेतु कोटा विकास प्राधिकरण को पक्षकार बनाते हुए खसरा नम्बर 245 को बैंक से भारमुक्त करवाकर सक्षम न्यायालय दुरूस्ती का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर चाराचोई करने के लिए प्रार्थी स्वतंत्र है ।

9. निर्णय आज दिनांक 08.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(पीयूष समारिया)
जिला कलक्टर, कोटा

जिला कलक्टर
कोटा